न्यायालय – भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, खूँटी

दा0 खा0 अपील वाद सं0– 25/2020-21

प्रथम पक्ष – सतेन्द्र सिंह पिता स्व0 अंबिका सिंह
ग्राम– धुर्वा, थाना–धुर्वा, जिला–राँची।

द्वितीय पक्ष – अंचल अधिकारी, खूँटी।

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश	की गई कार्रवाई
23.12.20		

अभिलेख आज उपस्थापित किया गया। अभिलेख एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों का अवलोकन किया।

आवेदक ने वर्त्तमान वाद दा0 खा0 वाद सं0–1432R27/18-19 में अंचल अधिकारी, खूँटी द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.03.2019 के विरूद्ध अपील दाखिल किया है जो निम्नवर्णित भूमि के दाखिल खारिज से संबंधित है:–

मौजा	थाना/थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा(एकड़ में)
कालामाटी	खूँटी 216	69	1087	0.18

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता कथन करते है कि उन्होंने उक्त भूमि का क्रय 1. नौशाद आलम पिता मोहम्मद इसराईल अंसारी वो 2. श्रीमती शबाना परवीन पति श्री नौशद आलम वो 3. मो0 शमीम अंसारी पिता मोहम्मद याकुब अंसारी वो 4. श्रीमती फरहत जरीन पति मो0 शमीम अंसारी घातकीडीह थाना विष्टुपुर (जमशेदपुर) जिला पूर्वी सिंहभुम से विक्रय पट्टा केवाला सं0 1746/85 दिनांक 18.12.2015 से क्रय किया है एवं अंचल अधिकारी द्वारा नामांतरण अस्वीकृत किये जाने के पश्चात् अपील दायर किया गया है। अन्त में अपील स्वीकार करने का प्रार्थना करते है।

अंचल अधिकारी, खूँटी के प्रतिवेदन अनुसार आवेदित भूमि का नामांतरण वाद पूर्व में निष्पदित होने के कारण नामांतरण आवेदन अस्वीकृत की गयी है। इसी वाद में अंचल अधिकारी, खूँटी के नामांतरण वाद सं0–1185R27/17-18 दिनांक 16.02.18 के प्रतिवेदन अनुसार सर्वे खतियानी रैयत अनुसुचित जाति के होने एवं उक्त भूमि की कैसे प्राप्त की गयी है से संबंधित कागजात प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण वाद अस्वीकृत की गयी है।

अधिवक्ता के बहस को सूना एवं दाखिल किये गये कागजातों का अवलोकन एवं पाया कि आवेदक के द्वारा अंचल अधिकारी, खूँटी के यहाँ वर्ष 2018 एवं वर्ष 2019 को नामांतरण हेतु आवेदन दिया गया था जिसपर अंचल अधिकारी, खूँटी के द्वारा प्रथम बार दिनांक 16.02.2018 को एवं दुसरी बार दिनांक 05.03.2019 को नामांतरण अस्वीकृत किया गया है आवेदक को प्रथम बार नामांतरण अस्वीकृत होने के पश्चात् अद्योहस्ताक्षरी के न्यायालय में अपील दायर किया जाना था परन्तु उनके द्वारा ऐसा ना कर पुनः वर्ष 2019 में दुबारा अंचल कार्यालय, खूँटी में ही नामांतरण आवेदन दायर किया गया। अंचल अधिकारी, खूँटी के द्वारा दो बार नामांतरण दिनांक 16.02.18 एवं 05.03.19 को अस्वीकृत किये जाने के पश्चात् इस न्यायालय में दिनांक 21.08.20 को अपील वाद दायर किया गया इससे स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा समय सीमा से अपील दायर नहीं किया गया है।

अतः अपील वाद अस्वीकृत की जाती है। अंचल अधिकारी, खूँटी द्वारा पारित आदेश को यथावत रखी जाती है। अपीलकर्त्ता सक्षम न्यायालय में अपील दायर कर सकते है।

Digitally signed by JITENDRA MUNDA
Date: 2021.08.10 13:23:45 +05:30
Location: 192.168.225.42

23/12/20

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।

23/12/20

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।